रजिस्ट्री० सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 473] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, नवम्बर 2, 1972/कार्तिक 11, 1894
No. 473] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 2, 1972/KARTIKA 11, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 2nd November 1972

S.O. 688(E)/18AA/IDRA/72.—Whereas the Central Government is satisfied from the documentary evidence in its possession in relation to the Refractory Plant near Ramgarh, in Hazaribagh district in the State of Bihar, owned by Messrs Assam Sillimanite Limited, a Company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) having its registered office at Gauhati, and principal office at 25, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta, that—

(i) it has been closed for a period of not less than 3 months; and

(ii) that such closure is prejudicial to the refractory industry, and the financial condition of the said company and the condition of the plant and machinery of the said Refractory Plant are such that it is possible to restart the said Refractory Plant and such restarting is necessary in the interests of the general public;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby authorises Messrs Hindustan Steel Limited, a Government Company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and having its

registered office at Ranchi in the State of Bihar (hereinafter referred to as 'the authorised person') to take over the management of the said Refractory Plant of Messrs Assam Sillimanite Limited situated near Ramgarh in Hazaribagh District in the State of Bihar, subject to the following terms and conditions, namely:—

(i) the authorised person shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government;

(ii) the authorised person shall hold office for a period of three years from the date of publication of this order in the official Gazette, and

(iii) the Central Government may terminate the appointment of the authorised person earlier, if it considers it necessary to do so.

2. This order shall have effect for a period of three years commencing from the date of its publication in the official gazette.

[No. F. 25/8/72-CUC.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1972

का० आ० 688(अ)/18कक/आई० डी० आर० ए०/72.—यतः गोहाटी में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय तथा 25—गणेशचन्द्रएवेन्यू, कलकत्ता में प्रधान कार्यालय वाली मैसर्स आसाम सिलीमेनाइट लिमिटेड नामक कम्पनी के, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी है, स्वामित्व के, बिहार राज्य के हजारी बाग जिले में रामनगर के निकट स्थित तापसह संयंत्र के संबंध में केन्द्रीय सरकार का अपने पास के दस्तावेजी साक्ष्य से समाधान हो गया है कि —

(1) यह संयंत्र कम से कम तीन महीने से बन्द पड़ा है, तथा

(2) उसके इस प्रकार बन्द होने से तापसह उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उक्त कम्पनी की वित्तीय स्थिति तथा उक्त तापसह संयंत्र के प्लांट तथा मशीनरी की हालत ऐसी है कि उक्त तापसह संयंत्र को पुनः चालू करना संभव है और उसे इस प्रकार पुनः चालू करना जनसाधारण के हित में आवश्यक है ;

अतः, अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड नामक सरकारी कम्पनी को, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय बिहार राज्य में रांची में है (जिस कम्पनी को इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकृत व्यक्ति' कहा गया है) प्राधिकृत करती है कि बिहार राज्य के हजारी बाग जिले में रामगढ़ के निकट स्थित उक्त मैसर्स आसम सिलिमेनाइट लिमिटेड के तापसह संयंत्र क प्रबन्ध अपने अधिकार में निम्नलिखित शर्तों पर ले, अर्थात् :—

(1) प्राधिकृत व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी निदेशों का पालन करेगा;

(2) प्राधिकृत व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा; और

(3) यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझे, तो वह प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति को उससे पूर्व भी समाप्त कर सकेगी ।

2. यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से आरम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि पर्यंत प्रभावी रहेगा ।

[सं० 25 (8)/72-सी० यू० सी०]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972